[2018] 7 एस. सी. आर. 830

सोमवीर @सोमवीर

वी.

एन. सी. टी. दिल्ली राज्य

(2017 की आपराधिक अपील संख्या 958)

02 जुलाई, 2018

[अशोक भूषण और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

एसएस। 302 और 392 यू/एस। 34 अपीलार्थी (अभियुक्त संख्या 2) सहित तीन अभियुक्तों का अभियोजन-दोहरी हत्या के लिए-यू/एस. एस.

120 - बी, 302,392 और 397-आई. पी. सी.-ट्रायल कोर्ट

परिस्थितिजन्य साक्षय अर्थात। अभियुक्त के कहने पर वसूली और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ की रिपोर्ट ने सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2 और अभियुक्त संख्या 1-अभियुक्त संख्या 3 की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए इसका लाभ देते हुए बरी कर दिया।

संदेह-अभियुक्त सं. 2 द्वारा अपील-आयोजितः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, बरामदगी को दोषपूर्ण साक्षय के रूप में नहीं लिया जा सकता है-अभियोजन पक्ष अपीलार्थी-अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने के लिए परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला बनाने में विफल रहा है।

प्रमाणः

परिस्थितिजन्य साक्षय-आयोजितः परिस्थितिजन्य साक्षय के मामलों में, हर परिस्थिति को उचित संदेह से परे साबित करना होता है-परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण और परिपूर्ण होनी चाहिए कि केवल अभियुक्त के अपराध का अनुमान ही सामने आए।

वहाँ से।

कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920:

एसएस। 3 , 4 , 5 और 8-पुलिस अधिकारी यू/एस की शक्ति 4 - क्या यू/एस द्वारा बनाए गए नियमों के अभाव में प्रयोग किया जा सकता है। 8 – आयोजित किया गयाः नहीं।

यू/एस द्वारा किसी भी नियम को तैयार करना। 8 यू/एस. एस. द्वारा दी गई शक्तियों के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है। 3 और 4.

830 सॉन्वीर @सॉम्वीर वी। एन. सी. टी. दिल्ली राज्य

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:

इंदू मल्होत्रा, जे.

अपराध, जब प्रत्येक अभियुक्त को पकड़ लिया गया, तो उनमें से प्रत्येक को आभूषणों के थैले पकड़े हुए पाया गया। मृतक का भाई पीडब्लू-4 ने अभियोजन पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया था कि उसे आरोपी व्यक्तियों के कब्जे से बरामद आभूषण दिखाए गए थे, या कि उसने आभूषणों की पहचान मृतक से संबंधित होने के लिए की थी। आभूषणों की पहचान मृतक के रूप में नहीं की गई थी। इन परिस्थितियों में, की कथित वसूली

अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2 के आभूषण और नकदी को अपराध साबित करने वाले साक्षय के रूप में नहीं लिया जा सका। [पैरा 6.1] [841-ई-एच; 842-ए-सी]

2. जहाँ तक खून से सने चाकू की बरामदगी का संबंध है, चाकू

मानव रक्त से सना हुआ पाया गया, कोई रक्त समूह नहीं दिया जा सका। उच्च न्यायालय ने पाया कि अपराध करने में उपयोग किए गए अपराध के हथियार की पहचान करने वाले किसी भी गवाह की अनुपस्थिति में, या पोस्टमॉर्टम डॉक्टरों की राय कि उक्त चाकू से चोट लगना संभव था, या उक्त चाकू पर मृतक के खून के बारे में एफ. एस. एल. रिपोर्ट में, चाकू को अपराध से जोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए, अपराध का हथियार कथित रूप से अपीलार्थी-अभियुक्त से बरामद किया गया

सं. 2 और अपराध करने में उपयोग किए जाने को उसके खिलाफ अपराध साबित करने वाले साक्षय के रूप में नहीं लिया जा सकता है। [पैरा 6.2] [842 सी-एफ]

3. अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2 के कहने पर बरामद खून से सना शर्ट को एफ. एस. एल. को विश्लेषण के लिए भेजा गया था।

8] 7 एस. सी. आर. के अनुसार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एफ. एस. एल. रिपोर्ट (उदा. पीडब्लू-33/ए), शर्ट पर "बी" समूह के मानव रक्त का दाग पाया गया, जो मृतक के समान "रक्त समूह" था। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2 से खून से सना शर्ट की बरामदगी को माना

उसके खिलाफ अपराध करना, क्योंकि उससे लिए गए रक्त के नमूने

अपराध स्थल पर बिस्तर की चादर भी एक ही रक्त समूह की पाई गई। रक्त-समूह का मात्र मिलान

अपराध स्थल पर चादर से लिए गए रक्त के नमूने और अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2 से बरामद रक्त-दाग वाली कमीज से यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि अपीलार्थी को

अपराध करने में शामिल। अभियोजन पक्ष ने

यह साबित नहीं हुआ कि जिस कमरे से कथित तौर पर खून से सना चाकू और खून से सना शर्ट बरामद किया गया था, वह अपीलार्थी के विशेष कब्जे में था। इसलिए, अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2 से खून से सना हुआ शर्ट की बरामदगी का उपयोग अभियोग के रूप में नहीं किया जा सकता है।

सबूत का दोषपूर्ण टुकड़ा। [पैरा 6.3] [842-जी-एच; 843-ए-बी, सी-डी, एफ-जी]

प्रकाश वी. कर्नाटक राज्य (2014) 12 एस. सी. सी. 133; देबप्रिय पाल बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2017) 11 एससीसी 31 : [2017] 1 एससीआर 566-पर निर्भर।

4. मारुति वैन और टूटी हुई नंबर प्लेट की बरामदगी को उनके खिलाफ अपराध साबित करने वाला सबूत माना गया था।

पुनर्प्राप्ति। पीडब्लू-23 ने कहा कि टूटी हुई नंबर प्लेट कथित तौर पर कचरे के ढेर से बरामद की गई थी, पीडब्लू-30 और पीडब्लू-32 ए ने कहा कि इसे कथित तौर पर झाड़ियों से बरामद किया गया था। द. कथित बरामदगी के किसी भी स्वतंत्र गवाह की अनुपस्थिति और पुलिस अधिकारियों के बयानों में विसंगति, अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बनाती है। [पैरा 6.4] [844-ए-बी, ई-एफ]

5. अभियोजन पक्ष ने फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ पीडब्लू-35 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए कहा कि अपीलकर्ता-आरोपी संख्या 2 से प्राप्त उंगली के निशान अपराध स्थल से प्राप्त संयोग प्रिंटों से मेल खाते हैं। इन दोनों अभियुक्तों का नमूना संयोग प्रिंट करता है। अभियुक्त नं. 1 और अपीलार्थी अभियुक्त नं. 2 को आई. ओ. पीडब्लू-32 ए ने मजिस्ट्रेट का कोई आदेश प्राप्त किए बिना ले लिया, जब अभियुक्त पुलिस में थे।

अभिरक्षा। [पैरा 6.5] [844-जी; 845-सी] सोनवीर @सोमवीर बनाम।

एन. सी. टी. दिल्ली राज्य

6. इस प्रकार, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष पूरी श्रृंखला बनाने में विफल रहा है अपीलार्थी के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने के लिए परिस्थितियाँ। [पैरा 7] [848-ई]

अशोक भूषण के अनुसार, जे. (सहमत)

1.1 कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 की योजना इंगित करती है कि धारा 3, धारा 4 और धारा 5 माप लेने से संबंधित अलग और स्वतंत्र प्रावधान हैं।

माप को धारा 2 (ए) के तहत उंगली की छाप और पदचिह्न छाप को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। वर्तमान मामले में, यह पुलिस अधिकारी है, जिसने अपीलार्थी की उंगलियों के निशान लिए हैं

गिरफ्तारी के बाद जो अधिनियम की धारा 4 के लिए संदर्भित है। [पैरा 8] [848-डी-ई]

1.2 कठोर दंडनीय अपराध में उंगलियों के निशान लेने के लिए पुलिस अधिकारी को सशक्त बनाने का उद्देश्य और उद्देश्य

एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास तुच्छ प्रकृति के अपराधों के लिए है। जहां कठोर कारावास एक वर्ष से कम है, पुलिस अधिकारी को उंगलियों के निशान लेने का अधिकार नहीं है। "एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास" शब्दों का उपयोग आजीवन कारावास या मौत की सजा को नकारता नहीं है। इस धारा का उद्देश्य पुलिस अधिकारी को तुच्छ अपराधों में उंगलियों के निशान लेने का अधिकार देना नहीं था, जहां कारावास एक वर्ष से कम है, लेकिन इस प्रावधान को इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है कि पुलिस अधिकारी के पास ऐसी शक्ति नहीं है यदि कारावास आजीवन कारावास या मृत्युदंड के लिए है। सपन हलदर मामले में सुझाए गए तरीके से धारा 4 को पढ़ना पुलिस अधिकारी के उंगलियों के निशान लेने के सशक्तिकरण के उद्देश्य को नकार देगा। [पारस 26 और 27] [855-डी-एफ]

1.3 राज्य सरकार द्वारा धारा 8 के तहत किसी भी नियम को न बनाना, इसके तहत दी गई शक्तियों के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है। अधिनियम की धारा 3 और 4। धारा 3 और 4 के तहत शक्ति का प्रयोग निर्धारित शर्तों द्वारा किया जाता है, लेकिन ऐसे मामले में जहां कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, धारा 3 और 4 के तहत सशक्त अधिकारियों को धारा 3 और 4 के तहत कार्य करने की उनकी शक्तियों से वंचित नहीं किया जाता है। यदि यह व्याख्या स्वीकार की जाती है कि धारा 8 के तहत बनाए गए नियमों के अभाव में, धारा 3 और 4 के तहत किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो धारा 3 और 4 के प्रावधान मृत पत्र बन जाएंगे, जो 1920 के अधिनियम को लागू करने में विधायिका का इरादा कभी नहीं रहा है। [पैरा 48] [864-बी-सी] [2018] 7 एस. सी. आर.

दिल्ली में कैदियों की पहचान की धारा 5 में निर्धारित प्रक्रिया तैयार की गई है और इसका पालन नहीं किया गया है, इस प्रकार हम हथेली के छापों के साक्षय को त्याग देंगे। दिल्ली राज्य में उंगलियों के निशान लेने के संबंध में कोई कार्यकारी निर्देश थे या नहीं, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई स्पष्ट सामग्री नहीं है। यह किसी भी न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का मामला नहीं है कि उंगलियों के निशान लिए गए थे। दिल्ली राज्य में लागू किसी भी कार्यकारी निर्देश की अवहेलना। इसलिए, उच्च न्यायालय के इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त के उंगलियों के निशान के साक्षय को त्याग दिया जाना चाहिए। [पारस 49,51] [864-डी-ई; 865-ए]

वी. टी. खानजोद और अन्य बनाम भारतीय रिजर्व बैंक और दूसरा (1982) 2 एस. सी. सी. 7: [1982] 3 एस. सी. आर. 411-अनुसरण किया गया।

सुरिंदर सिंह बनाम। केंद्र सरकार और अन्य। (1986) 4

एससीसी 667: [1986] 3 एस. सी. आर. 946-- पर निर्भर था।

* सपन हलदर और एक अन्य बनाम। राज्य 191 (2012) डीएलटी

225 - अस्वीकृत।

शंकरिया बनाम राजस्थान राज्य (1978) 3 एस. सी. सी. 435। अमन और एक अन्य वी। राजस्थान राज्य (1997)

10 एस. सी. सी. 44; मध्य प्रदेश राज्य बनाम। देवेंद्र (2009) 14 एस. सी. सी. 80 [2009] 8 एस. सी. आर. 98; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। राम बाबू मिश्रा (1980) 2 एससीसी 343: [1980] 2 एससीआर 1067; महमूद बनाम यू. पी. राज्य ए. आई. आर. 1976 एससी 69 : (1976) 1 एस. सी. सी. 542; थावराज पांडियन और अन्य बनाम। राज्य 2003 क्रि. L.J.2642; प्रकाश बनाम. कर्नाटक राज्य

(2014) 12 एस. सी. सी. 133-संदर्भित।

2. भले ही, यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी की उंगलियों के निशान, संयोग प्रिंट मार्क क्यू5 बाएं हथेली के नमूने के समान थे।

अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 2 की धारणा, यह परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा नहीं करती है जो अपीलार्थी की ओर बिना किसी कारण के उंगली उठाती है, कि यह अपीलार्थी ही था जिसने हत्या की थी।

प्रत्येक परिस्थिति को उचित संदेह से परे साबित करना होगा और आगे परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण और परिपूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त के अपराध का एकमात्र अनुमान उसी से निकल सके। इस प्रकार, भले ही, उपरोक्त साक्षय एस. ओ. एन. वी. आई. आर. @एस. ओ. एम. वी. आई. आर. वी.

एन. सी. टी. दिल्ली राज्य

परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को त्याग दिया जा सकता है

अपीलार्थी के अपराध को स्पष्ट रूप से इंगित करने का अनुरोध धारा 3 के तहत आरोपों से बरी हो जाता है।आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पढ़ें। [पारस 52,53 और 54] [8]

रमेश और अन्य बनाम। राजस्थान राज्य (2011) 3 एससीसी

685 [2011] 4 एससीआर 585-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

इंदु मल्होत्रा के फैसले में, जे। (2014) 12 एससीसी 133

उस पर भरोसा करें

पैरा 6.3

[2017] 1 एससीआर 566

उस पर भरोसा करें

पैरा 6.3

अशोक भूषण के फैसले में, जे.

(2012) डीएलटी 225

पैरा 9

अस्वीकृत

(1978) 3 एससीसी 435

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

(1997) 10 एससीसी 44

पैरा 14

संदर्भित किया गया है

[2009] 8 एससीआर 98

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[1980] 2 एससीआर 1067

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

(1976) 1 एस. सी. सी. 542

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

संदर्भित किया गया है

2003 क्राई। L.J.2642

पैरा 24

(2014) 12 एससीसी 133

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

[1982] 3 एससीआर 411

पीछा किया।

पैरा 41

[1986] 3 एससीआर 946

उस पर भरोसा करें

पैरा 44

[2011] 4 एससीआर 585

उस पर भरोसा करें

पैरा 52

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

एफ 2017।

एच के 10-12-2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आपराधिक अपील सं. में दिल्ली का टी। 1300 2014 से।

हरिंदर मोहन सिंह, सुश्री शबाना, अजय गुप्ता ऋषि चा

. अपीलार्थी के लिए।

संदीप सेठी, ए. एस. जी., पी. के. डे, एस. एस. रे, बी. वी. बलराम प्रथम

. उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था इंदु मल्होत्रा, जे. 1. वर्तमान आपराधिक अपील है

अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया-2014 की आपराधिक अपील No.1300 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 10 दिसंबर 2014 के फैसले और आदेश के खिलाफ अभियुक्त संख्या 2। अपीलार्थी, अभियुक्त सं। 1 और 3, को सत्र न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302,392 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त संख्या को दी गई सजा की पुष्टि की। 1 और 2. वर्तमान अपील अपीलार्थी-अभियुक्त सं. 2 द्वारा की गई है। अभियुक्त नं. 1 ने स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती नहीं दी है, और वह दी गई सजा काट रहा है।

1.1 अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 20 अक्टूबर 2009 को पी. सी. आर. को 11 बजे सूचना मिली: 45 ए. एम. किसी गुप्त मुखबिर से यह कहते हुए कि सदन नं. सी-190, किनर वाली बिल्डिंग, शाहीन बाग, नई दिल्ली में ताला लगा हुआ था और अंदर कुछ गड़बड़ थी। पुलिस ने एक चाबी बनाने वाले की मदद से मुख्य द्वार खोला। मुख्य द्वार में प्रवेश करने पर फर्श पर खून से लथपथ पाया गया और दाहिनी ओर 800 डी. एल.-6 सीए-3414 नंबर वाली एक मारुति कार खड़ी पाई गई, जिसके चारों टायर उखड़ गए थे। बाथरूम के अंदर बाईं ओर, 30 वर्षीय मीना किन्नर का शव गर्दन और दाहिने हाथ पर चोट के निशान के साथ पाया गया। पहली मंजिल पर 45 वर्षीय विमलेश किन्नर का शव दोहरे बिस्तर पर मिला। विमलेश के शरीर पर गर्दन, छाती, हाथ, पैर की अंगुली, तर्जनी आदि पर चोट के निशान थे। वस्तुओं में बिखरे हुए पाए गए थे

घर। दोनों मृतक थर्ड जेंडर के थे।

1.2 डॉ. एम. (पीडब्लू-2) द्वारा विमलेश के शरीर का पोस्टमॉर्टम किया गया, जिन्होंने कहा कि मौत का कारण एक धारदार हथियार से चोट लगने के कारण हुए सदमे के कारण हुआ था। डॉ. सुशील शर्मा (पीडब्लू-7) ने मृतक मीना के शव का पोस्टमार्टम किया। चोटें आई हैं

प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त पाया गया। चोटें एक तेज नुकीले भारी हथियार से लगी थीं।

1.3 जांच अधिकारी (आई. ओ.)-इंस्पेक्टर अमृत राज (पीडब्लू 32 ए) ने खलील अहमद के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई।

(अभियुक्त संख्या 3) जिसने खुद को पति और पत्नी के साथ संबंध के समान होने के रूप में पेश किया

मृतक विमलेश।

एन. वी. आई. आर. @सोमवीर वी. दिल्ली का राज्य [इंदु मल्होत्रा, जे.]

उप-निरीक्षक नरेश कुमार शर्मा (पीडब्लू-8), फिंगरप्रिंट ब्यूरो, अपराध शाखा, कमला मार्केट के प्रभारी ने घटनास्थल का दौरा किया और मौके के छह निशान लिए।

4 3 नवंबर 2009 को लगभग 8 बजे: 30 गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सुल्तान @Rajesh (आरोपी नंबर 1) को गिरफ्तार किया जो मृतक विमलेश का चालक था। सुल्तान @राजेश (आरोपी नंबर 1) ने कथित तौर पर खुलासा किया कि सोनवीर @

सोमवीर (अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2) एक टैक्सी-चालक, खलील अहमद (अभियुक्त संख्या 3) और "एन" (किशोर) भी उसके साथ साजिश में शामिल थे। अभियोजन मामले के अनुसार, सुल्तान @

राजेश (आरोपी नंबर 1) को गिरफ्तार किए जाने के समय कथित तौर पर उसके कंधे पर एक काला थैला पाया गया था जिसमें सोने के आभूषणों की 15 वस्तुएं, 2 जोड़ी पायजेब, 6 चांदी के सिक्के, रु। 2,00,000 / - नकदी में, आईसीआईसीआई की एक कलाई घड़ी

मृतक विमलेश की दो तस्वीरें बनाएँ।

5 बाद में उसी दिन रात में, सुल्तान @राजेश (आरोपी नंबर 1) पुलिस को सोनवीर @सोमवीर (अपीलकर्ता-आरोपी नंबर 2) के पास ले गया, जो तेजा चौधरी के घर के एक कमरे में रह रहा था। गिरफ्तारी के समय, सोनवीर @सोमवीर (अपीलार्थी-अभियुक्त)

नंबर 2), कथित तौर पर एक काले रंग का थैला भी ले जा रहा था

इसमें सोने के आभूषणों की 15 वस्तुएं, चांदी की 2 वस्तुएं, 6 चांदी के सिक्के और रु। 50,000 / - नकद में। सोनवीर @सोमवीर

(अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2) पुलिस को अपने कमरे में ले गया और एक बाल्टी से खून से सना चाकू और खून से सना शर्ट निकाला।

6 यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने हरी नगर में खलील अहमद (आरोपी संख्या 3) को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर अपने साथ एक बैग भी ले जा रहा था। थैले की तलाशी लेने पर, कुछ सोने के गहने, 2 कलाई घड़ियाँ और रु। 3,00,000 / - कथित तौर पर नकदी में थे

4 नवंबर 2009 को सुबह लगभग 4:35 बजे ठीक हुआ।

7 खलील अहमद (आरोपी संख्या 3) ने 4 नवंबर 2009 को "एन" (किशोर) की गिरफ्तारी की। “ एन "(किशोर) अपने तकिए के नीचे एक थैले के साथ फर्श पर सो रहा था। थैले की तलाशी लेने पर, कुछ आभूषण, 1 नोकिया 6600 मोबाइल फोन और रु। 32,000 / - कथित तौर पर नकदी बरामद की गई। 8 7 नवंबर 2009 को, सुल्तान @राजेश (अभियुक्त संख्या 1) और सोनवीर @Somvir (अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2) ने पुलिस [2018] 7 एस. सी. आर. का नेतृत्व किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विमलेश से संबंधित एक मारुति वैन की बरामदगी के लिए मुरैना जिले के भिंड गांव को। टूटी हुई गाड़ी के साथ मारुति वैन

8 नवंबर 2009 को आई. ओ.-एस. आई. अमृत राज (पीडब्लू-32 ए)। आई. ओ. ने मारुति वैन को उसमें मौजूद सामानों के साथ जब्त कर लिया। - एस. आई. अमृत राज (पीडब्लू-32 ए)। पुलिस ने कथित तौर पर पुंज लॉयड के गेट नंबर 2 के पास एक टूटी हुई नंबर प्लेट बरामद की थी।

सुल्तान @राजेश के कहने पर नूराबाद में कारखाना

(अभियुक्त नं. 1) और सोनवीर @सोमवीर (अपीलार्थी-अभियुक्त)

नंबर 2)।

1.9 12 नवंबर 2009 को सुल्तान @राजेश (आरोपी नंबर 1) पुलिस को जल विहार के क्वार्टर No.86, टाइप-II के गैराज में ले गया और मिट्टी खोदने के बाद एक पॉलिथीन बैग निकाला। उक्त पॉलिथीन बैग में कथित तौर पर रुपये थे। 40,000 / - नगदी में

और 2 सोने की जंजीरें।

1.10 आई. ओ.-एस. आई. अमृत राज (पीडब्लू-32 ए) ने दो अभियुक्तों की उंगलियों के निशान प्राप्त किए। सुल्तान @राजेश (आरोपी नंबर 1) और सोनवीर @सोमवीर (आरोपी नंबर 2) जब वे अंदर थे

पुलिस हिरासत।

1.11 उंगलियों के निशान आई. ओ.-एस. आई. अमृत राज (पीडब्लू-32 ए) द्वारा मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त किए बिना कैदियों की पहचान की धारा 5 के अनुसार लिए गए थे।

अधिनियम, 1920।

1.12 घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। मामला इस पर आधारित है

पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर।

1.13 कि चूंकि "एन" एक किशोर था, इसलिए उसे अलग से आगे बढ़ाया गया था

किशोर न्याय बोर्ड द्वारा।

1.14 मुकदमा तीन अभियुक्तों के खिलाफ आगे बढ़ा। सुल्तान @राजेश (अभियुक्त संख्या 1), सोनवीर @सोमवीर (अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2), और खलील अहमद (अभियुक्त संख्या 3)। खलील अहमद (अभियुक्त संख्या 3) ने कहा कि वह मृतक विमलेश के साथ पति और पत्नी के समान संबंध में था। सुल्तान @राजेश (अभियुक्त संख्या 1) विमलेश द्वारा चालक के रूप में नियुक्त किया गया था। जबकि सोनवीर @सोमवीर (आरोपी संख्या 3) एक टैक्सी एन. वी. आई. आर. @सोमवीर बनाम था।

दिल्ली का राज्य [इंदु मल्होत्रा, जे.]

ड्राइवर, जिसकी टैक्सी को विमलेश ने किसी अवसर पर रोक लिया था, सोनवीर @सोमवीर के बयान के अनुसार

Cr.P.C की धारा 313।

निचली अदालत ने 3 जून 2014 के फैसले और आदेश के माध्यम से सभी तीनों अभियुक्तों को धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया।

392 आर. डब्ल्यू आईपीसी की धारा 34।

1 ट्रायल कोर्ट ने माना कि अधिकांश चोटें चाकू के घाव/घाव/चीरे के घाव थे। इसके अलावा, यह पाया गया कि मृतक के घर में सामान बिखरे हुए पाए गए थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि पीड़ितों की हत्या की वजह

लूटपाट। ट्रायल कोर्ट ने नोट किया कि किसी भी आरोपी ने दावा नहीं किया

उनके पास से कथित तौर पर बरामद आभूषण/नकदी

उनके स्वामित्व के रूप में। अभियुक्तों ने प्रस्तुत किया

कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था।

ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड करता है कि यह सच है कि कोई भी व्यक्ति

ठीक होने के समय जनता शामिल हो गई थी। यह बरामदगी कथित तौर पर केवल पुलिस अधिकारियों यानी पीडब्लू 21, पीडब्लू-25, पीडब्लू-31, पीडब्लू-34 और पीडब्लू-36 की उपस्थिति में की गई थी।

2 वर्तमान अपीलार्थी के संबंध में, यह आरोप लगाया गया है कि तेजा चौधरी के घर में उसके कमरे की खाने की मेज के नीचे पड़ी एक प्लास्टिक की बाल्टी से एक खून से सना हुआ शर्ट और एक खून से सना हुआ "चूरा" बरामद किया गया था। वैज्ञानिक अधिकारी के अनुसार, पीड़ित के घर से जब्त की गई वस्तुएं, और उसकी शर्ट

अभियुक्त का रक्त समूह "बी" एक ही था। यह आगे आरोप लगाया जाता है कि क्यू1-क्यू6 चिह्नित छह मौका छापों में से, क्यू5 था

वर्तमान अपीलार्थी की बाईं हथेली की छाप के समान।

3 ट्रायल कोर्ट का मानना है कि वसूली एक अनुमान की ओर ले जाती है

कि अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर लूट को अंजाम दिया था। यह आगे माना जाता है कि यह स्थापित नहीं हुआ है कि किस आरोपी ने किसी खतरनाक हथियार का उपयोग करके घातक प्रहार किया था। इसी प्रकार, अभिलेख से यह स्थापित नहीं होता है कि

अभियुक्त व्यक्तियों ने पीड़ितों को मारने की कोई भी साजिश रची थी। इसलिए, धारा 397 या 120-बी के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं है।

आई. पी. सी. बनाया गया है।

कि तीनों अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी उच्च न्यायालय ने खलील अहमद [2018] 7 एस. सी. आर. को संदेह का लाभ प्रदान किया।

धारा सं. 3) इस आधार पर कि आभूषणों और नकदी की बरामदगी को एकमात्र साक्षय के रूप में अपराध के रूप में लिया जाए। कि

खलील अहमद (अभियुक्त संख्या 3) ने कहा है कि वह

मृतक विमलेश के साथ पति और पत्नी की नियुक्ति, अभियुक्त

गहने और नकदी का स्वामित्व और स्वामित्व हो सकता था।

3.1 उच्च न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ 16 में दर्ज किया है,

कि किसी भी आभूषण का परीक्षण नहीं किया गया था

जाँच के दौरान पहचान परेड। कठघरे में भी किसी गवाह ने यह नहीं बताया कि तीनों अभियुक्तों के कहने पर बरामद आभूषण मृतक के थे। इसके अलावा, फैसले के पैराग्राफ 18 में, उच्च न्यायालय का मानना है कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया था कि अपीलार्थी से बरामद आभूषण मृतक के थे। इसलिए, आभूषणों की बरामदगी को संबंधित नहीं माना जा सकता है।

अपराध।

3.2 फैसले के पैराग्राफ 19 में, उच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि सोनवीर से चाकू की कथित बरामदगी के संबंध में, एफएसएल द्वारा जांच करने पर, कोई रक्त समूह नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा, पोस्टमॉर्टम डॉक्टर से कोई राय नहीं मांगी गई थी कि क्या मृतक को अपराध के उक्त हथियार से चोट लगना संभव था। किसी की अनुपस्थिति में

अपराध में प्रयुक्त हथियार की पहचान करने वाला गवाह

अपराध करना, या पोस्टमॉर्टम डॉक्टर की राय कि उक्त चाकू से चोट लगना संभव था, या मृतक का खून मिलने के संबंध में एफ. एस. एल. रिपोर्ट, चाकू को अपराध से जुड़ा नहीं कहा जा सकता है, और इसे उसके खिलाफ अपराध साबित करने वाले सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

3.3 उच्च न्यायालय ने सुल्तान @राजेश और सोनवीर @सोमवीर द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया और इस आधार पर निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया था

मृतक के "रक्त समूह" यानी "" के साथ रक्त-सना हुआ पाया गया। बी समूह, बेनामी गहने और नकदी, मारुति वैन की बरामदगी, उक्त वाहन की टूटी हुई नंबर प्लेट का एक टुकड़ा वैन।

4. उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित, सोनवीर @Somvir अभियुक्त-अभियुक्त संख्या 2) ने वर्तमान एस. एल. पी. दायर की है, जिसे फिर से दायर किया गया था।

2017 की आपराधिक अपील संख्या 958 के रूप में दर्ज की गई।

सॉन्वीर @सॉम्वीर वी। दिल्ली का राज्य [इंदु मल्होत्रा, जे.]

सुल्तान @राजेश (अभियुक्त संख्या 1) ने स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती नहीं दी है, और वह दी गई सजा से गुजर रहा है।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा सोनवीर @के खिलाफ कानूनी साक्षय पर भरोसा किया गया

वीर (अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2) इस प्रकार है:

((i) बेनामी आभूषणों और नकदी की वसूली;

((ii) खून से सने चाकू की बरामदगी;

(iii) खून से सना हुआ शर्ट की बरामदगी;

((iv) परित्यक्त मारुति वैन और टूटी हुई नंबर प्लेट की बरामदगी; (v) फोरेंसिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट में कहा गया है कि अपराध स्थल से उठाए गए संयोग के निशान, अपीलार्थी से प्राप्त उंगली के छापों से मेल खाते हैं जब वह पुलिस हिरासत में था।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कानूनी साक्षय को समय के साथ निपटाया जाता है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अभियोजन पक्ष ने धारा 34 के साथ पठित धारा 302,392 के तहत दंडनीय मामलों के लिए मामला साबित किया है।

वर्तमान अपीलार्थी को उचित संदेह से परे प्राप्त करें।

6.1 असंबद्ध जेवेलरी और नकदी की संबद्ध वसूली अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, सोने के आभूषणों की 15 वस्तुएँ, चांदी की 2 वस्तुएँ, 6 चांदी के सिक्के और रु। 50,000 / - कथित तौर पर नकदी में थे

3 नवंबर 2009 को गिरफ्तारी के समय सोनवीर @सोमवीर (अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2) से बरामद किया गया, जो 16-17 था।

अपराध की घटना की तारीख के कुछ दिन बाद। उक्त आभूषण और नकदी मृतक विमलेश के थे। सोनवीर @

सोनवीर @सोमवीर (अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2) ने Cr.P.C की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा कि वसूली की गई थी और उसे गलत तरीके से फंसाया गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 16-17 की तारीख के कुछ दिनों बाद

अपराध की घटना, जब प्रत्येक अभियुक्त पकड़े जाने पर उनमें से प्रत्येक के हाथ में आभूषणों के थैले पाए गए।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह असंभव और अप्राकृतिक लगता है। सोनवीर @सोमवीर (अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2) के मामले में, उसे एक तेजा चौधरी के घर में उसके कमरे से गिरफ्तार किया गया था।

मृतक का भाई-विमलेश, एक मोहम्मद। अयूब (पीडब्लू-4) ने विद्वान एपीपी के इस सुझाव से इनकार किया है कि उसे आरोपी व्यक्तियों के कब्जे से बरामद आभूषण दिखाए गए थे, या उसने आभूषणों की पहचान विमलेश से संबंधित होने के लिए की थी। आभूषणों की पहचान मृतक के रूप में नहीं की गई थी। इन परिस्थितियों में, की कथित वसूली सोनवीर @सोमवीर (अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2) के आभूषण और नकदी को अपराध साबित करने वाले सबूत के रूप में नहीं लिया जा सका।

6.2 रक्त-स्थिर नाइफ की संबद्ध वसूली

अभियोजन पक्ष के अनुसार, गिरफ्तारी के समय सोनवीर उर्फ सोमवीर (अपीलार्थी-आरोपी संख्या 2) के पास से खून से सना चाकू भी बरामद किया गया था। एफ. एस. एल. रिपोर्ट के अनुसार (उदा. पीडब्लू-33/ए), जबकि चाकू मानव रक्त से सना हुआ पाया गया था, कोई रक्त समूह नहीं था

दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के पैराग्राफ 19 में पाया कि हथियार की पहचान करने वाले किसी भी गवाह की अनुपस्थिति में

अपराध करने में प्रयुक्त अपराध, या पोस्टमॉर्टम डॉक्टरों की राय कि उक्त चाकू से चोट लगना संभव था, या उक्त चाकू पर मृतक का खून पाए जाने के बारे में एफ. एस. एल. रिपोर्ट, चाकू को अपराध से जुड़ा नहीं कहा जा सकता है। उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सोनवीर @सोमवीर (अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2) के कहने पर चाकू की बरामदगी का उपयोग उसके खिलाफ अपराध साबित करने वाले सबूत के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नतीजतन, अपराध का हथियार कथित तौर पर बरामद किया गया सोनवीर @सोमवीर (अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2) से और अपराध करने में इस्तेमाल किया गया, उसे उसके खिलाफ अपराध साबित करने वाले सबूत के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

6.3 स्टैनड शर्ट के रक्त की संचित वसूली

गिरफ्तारी के समय तेजा चौधरी के घर में अपने कमरे से सोनवीर @सोमवीर (अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2) का उदाहरण। खून से सना शर्ट को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया था। के अनुसार एफ. एस. एल. रिपोर्ट (उदा. पीडब्लू-33/ए), कथित तौर पर सोनवीर @सोमवीर (अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2) से बरामद शर्ट को सोनवीर @सोमवीर बनाम पाया गया।

दिल्ली का राज्य [इंदु मल्होत्रा, जे.]

"बी" समूह के मानव रक्त से सना हुआ, जो मृतक के समान "रक्त समूह" था।

पैराग्राफ 20 में, उच्च न्यायालय ने सोनवीर @सोमवीर (अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2) से खून से सना शर्ट की बरामदगी को उसके खिलाफ अपराध माना, क्योंकि अपराध स्थल पर चादर से लिए गए रक्त के नमूने भी उसी रक्त समूह के पाए गए थे।

इस मुद्दे पर प्रकाश बनाम में इस न्यायालय के दो फैसलों पर भरोसा किया जा सकता है। कर्नाटक राज्य [(2014) 12 एस. सी. सी. 133; पैराग्राफ 41 और 45] और देबप्रिय पाल बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य [(2017) 11 एस. सी. सी. 31; पैराग्राफ 8] जिसमें इस न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्षय के आधार पर मामलों का फैसला करते हुए कहा था कि केवल रक्त समूह के मिलान से अभियुक्त की दोषपूर्णता का निष्कर्ष नहीं निकल सकता है, एक विस्तृत सीरोलॉजिकल तुलना के अभाव में, क्योंकि लाखों लोगों का रक्त समान होगा।

समूह।

वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया है कि जिस कमरे से कथित तौर पर खून से सना चाकू और खून से सना शर्ट बरामद किया गया था, वह विशेष रूप से उसके कब्जे में था। अपीलार्थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि उक्त कमरा तेजा चौधरी के स्वामित्व वाले घर में था। इस धारा में यह साबित करने के लिए उक्त तेजा चौधरी की जांच नहीं की गई कि उक्त कमरा सोनवीर @सोमवीर को किराए पर दिया गया था और/या अपीलार्थी की विशेष हिरासत में था।

इसलिए, सोनवीर @से खून से सना हुआ शर्ट बरामद हुआ।

सोमवीर (अपीलार्थी-अभियुक्त संख्या 2) का उपयोग साक्षय के एक दोषपूर्ण टुकड़े के रूप में नहीं किया जा सकता है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6.4 मारुति वैन और टूटी हुई संख्या की संबद्ध वसूली

एस. आई. अभिषेक सिंह (पीडब्लू-30) ने अपनी जिरह में कहा था कि कथित बरामदगी के समय कोई सार्वजनिक व्यक्ति/स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि एएसआई उदय भान सिंह परमार (पीडब्लू-23) ने कहा कि टूटी हुई नंबर प्लेट कथित तौर पर कचरे के ढेर से बरामद की गई थी, एसआई अभिषेक सिंह (पीडब्लू-30) और इंस्पेक्टर अमृत राज (पीडब्लू-32 ए) ने कहा कि इसे कथित तौर पर झाड़ियों से बरामद किया गया था। किसी की अनुपस्थिति

6.5 फ़ोरेंसिक रिपोर्ट मैचिंग फ़िंगर इम्प्रेशंस के बारे में अभियोजन पक्ष ने फिंगरप्रिंट ब्यूरो के वरिष्ठ फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ, आर. एन. रावत (पीडब्लू 35) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए कहा कि सोनवीर @सोमवीर से प्राप्त उंगली के निशान अपराध स्थल से प्राप्त संयोग प्रिंटों से मेल खाते हैं।

निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने एस. आई. नरेश कुमार एस. ओ. एन. वी. आई. आर. @एस. ओ. एम. वी. आई. आर. बनाम द्वारा घर की पहली मंजिल से उठाए गए छह संयोग प्रिंटों पर विचार किया।

एन. सी. टी. दिल्ली राज्य

शर्मा (पीडब्लू-8), फिंगर प्रिंट ब्यूरो, अपराध शाखा के प्रभारी। चांस प्रिंट क्यू1 से क्यू3 को पहली मंजिल पर लोहे के डिब्बे से, क्यू4 को शोकेस ग्लास से और क्यू5 और क्यू6 को लोहे के सेफ से उठाया गया था। फिंगरप्रिंट ब्यूरो के वरिष्ठ फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ आर. एन. रावत (पीडब्लू-35) ने अपनी रिपोर्ट (एक्स. पीडब्लू-35/ए और एक्स। पीडब्लू-35/बी), ने राय दी कि मौका प्रिंट क्यू 1 चिह्नित किया गया था

सुल्तान @Rajesh (अभियुक्त संख्या 1) के नमूने के दाहिने हथेली के निशान के समान, जबकि मौका प्रिंट चिह्नित क्यू 5 सोनवीर @Somvir (अपीलार्थी) के नमूने के बाएं हथेली के निशान के समान था।

अभियुक्त सं. 2)।

पुलिस हिरासत। यह इस मुद्दे की ओर ले जाता है कि क्या फोरेंसिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट सबूत में स्वीकार्य है, कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 ("अधिनियम") के प्रावधानों के आलोक में क्योंकि दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा कोई नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं।

इस मुद्दे को जस्टिस द्वारा अलग फैसले में निपटाया जा रहा है।

अशोक भूषण।

7. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष ने

अपीलार्थी के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने के लिए परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला बनाने में विफल रहा। नतीजतन, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है, और उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील सं. 1 में दिनांकित निर्णय और आदेश पारित किया जाता है। 1300 2014 को अलग रखा गया है। अपीलार्थी धारा 302,392 के तहत आरोपों से बरी हो जाता है। आई. पी. सी. 1860 की धारा 34।

अशोक भूषण, जे. 1. मैं विस्तार से गुज़रा हूँ

फैसला सिस्टर जस्टिस इंदु मल्होत्रा द्वारा तैयार किया गया।

2. अपीलार्थी को अतिरिक्त आयुक्त द्वारा आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302,392 के तहत दोषी ठहराया गया है। सत्र न्यायाधीश-02: दक्षिण पूर्व साकेत कोर्ट, नई दिल्ली। दोषसिद्धि के खिलाफ अपील भी की गई है दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 10.12.2014 निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के मामले और रिकॉर्ड पर साक्षय सहित मामले के विस्तृत तथ्यों को सिस्टर जस्टिस इंदु मल्होत्रा [2018] 7 एस. सी. आर. द्वारा विस्तार से नोट किया गया है।

उसके निर्णय में। इसलिए, मुझे ऐसा दोहराने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। अभिलेख पर संपूर्ण साक्षय पर विस्तृत विचार करने के बाद सिस्टर जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और अपीलार्थी को बरी कर दिया जाना चाहिए।

3. मैं सिस्टर जस्टिस इंदु के उपरोक्त दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हूं।

मल्होत्रा। हालाँकि, कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 की धारा 4 और 5 की व्याख्या से संबंधित कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न वर्तमान अपील में शामिल होने के कारण, मैं उसी पर विचार करने और अपने कारण देने के लिए आगे बढ़ता हूँ। 4. अब, मैं कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 के प्रावधानों की जांच करने के लिए आगे बढ़ता हूं।

5. उद्देश्यों और कारणों का विवरण उस उद्देश्य और उद्देश्य का एक उचित विचार प्रदान करता है जिसके लिए कैदियों की पहचान अधिनियम,

1920 (इसके बाद 1920 अधिनियम के रूप में संदर्भित) अधिनियमित किया गया था। उद्देश्यों और कारणों का कथन इस प्रकार है:

" इस विधेयक का उद्देश्य कुछ अपराधों के संबंध में दोषी ठहराए गए या गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के माप, उंगलियों के निशान, पैरों के निशान और तस्वीरें लेने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करना है। अपराध का पता लगाने और अपराधियों की पहचान में एजेंट के रूप में उंगली के छापों और तस्वीरों के वैज्ञानिक उपयोग का मूल्य सर्वविदित है, और आधुनिक विकास

इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में यह अनावश्यक है।

प्रस्तावित विधान की आवश्यकता को बढ़ाना।

मौजूदा प्रणाली जिसके द्वारा भारत में पुलिस अपराधियों और संदिग्ध अपराधियों की उंगलियों की छाप, तस्वीरें आदि लेती है आपराधिक जनजातियों के पंजीकृत सदस्यों के संबंध में, जिनके मामले में आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1911 की धारा 9 में उंगली के निशान लेने का प्रावधान मौजूद है, को छोड़कर, कानूनी मंजूरी से शून्य है।

(1911 का III)। इस प्रथा को वैध बनाने की आवश्यकता को लंबे समय से मान्यता दी गई है, लेकिन इस मामले को तब तक उठाना समीचीन नहीं माना गया जब तक कि कोई व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं हुईं। हाल ही में भारत सरकार को ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां कैदियों ने अपनी उंगलियों के निशान या तस्वीरें लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। भविष्य में इस तरह के इनकार को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाता है

लेने के लिए और देरी के बिना आवश्यक

माप, आदि, जो भारत में अन्य जगहों की तरह पुलिस के काम करने की एक सामान्य घटना है, नियमित आधार पर। कोई माप नहीं, आदि, एस. ओ. एन. वी. आई. आर. @एस. ओ. एम. वी. आई. आर. वी.

किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से लिया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति के पास न हो

गिरफ्तार कर लिया गया।"

6. उपरोक्त उद्देश्यों और कारणों से पता चलता है कि मौजूदा प्रणाली के तहत भारत में पुलिस अपराधियों और संदिग्ध अपराधियों की उंगलियों की छाप, तस्वीरें आदि लेती है, जो कानूनी मंजूरी से बाहर है। इस प्रकार, उपरोक्त शरारत को 1920 के अधिनियम द्वारा दूर करने की मांग की गई थी। उद्देश्यों और कारणों के कथन के अंतिम भाग में उद्देश्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है अर्थात "भविष्य में इस तरह के इनकार को रोकने के लिए यह है -

बिना किसी देरी के माप आदि लेने के लिए आवश्यक माना जाता है, जो भारत में पुलिस के काम की एक सामान्य घटना है। अन्य जगहों की तरह, नियमित आधार पर "।

7. अब, हम धारा 3,4 और 5 पर आते हैं जो वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं। धारा 3 में माप लेने का प्रावधान है -

दोषी ठहराए गए व्यक्ति जो इस प्रकार हैं:

" 3. दोषी व्यक्तियों के माप आदि लेना।

हर वह व्यक्ति जो

(क) एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, या किसी ऐसे अपराध के लिए जो उसे बाद की अवधि में बढ़ी हुई सजा के लिए उत्तरदायी बनाता है।

विश्वास; या (ख) दंड

प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 118 के तहत उसके अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा देने का आदेश दिया गया है, यदि आवश्यक हो, तो उसके माप और तस्वीर को एक पुलिस अधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से लेने की अनुमति दी जाएगी।

धारा 4 गैर-दोषी व्यक्तियों की माप लेने से संबंधित है जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

लोग। - कोई भी व्यक्ति जिसे इस संबंध में गिरफ्तार किया गया है एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय अपराध, यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा आवश्यक है, तो उसके माप को निर्धारित तरीके से लेने की अनुमति देगा।

धारा 5 मजिस्ट्रेट की किसी व्यक्ति को मापने या फोटो खींचने का आदेश देने की शक्ति से संबंधित है जो इस प्रकार है:

" 5. मजिस्ट्रेट की किसी व्यक्ति को मापने या फोटो खिंचवाने का आदेश देने की शक्ति। यदि एक मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि, [2018] 7 एस. सी. आर. के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संहिता के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के उद्देश्य

दंड प्रक्रिया, 1898, किसी भी व्यक्ति को निर्देश देना समीचीन है -

अपना माप या फोटो लेने की अनुमति देते हुए, वह उस आशय का आदेश दे सकता है, और उस मामले में जिस व्यक्ति से आदेश संबंधित है, उसे आदेश में निर्दिष्ट समय और स्थान पर पेश किया जाएगा या उपस्थित किया जाएगा और एक पुलिस अधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने माप या फोटो लेने की अनुमति देगा:

बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को निर्देश देने के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाएगा

प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को छोड़कर तस्वीरें: बशर्ते कि इस धारा के तहत कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि व्यक्ति को किसी समय इस संबंध में गिरफ्तार नहीं किया गया हो।

ऐसी जाँच या कार्यवाही के साथ। "

8. अधिनियम की योजना इंगित करती है कि धारा 3, धारा 4 और धारा 5 लेने से संबंधित अलग और स्वतंत्र प्रावधान हैं।

मापों का। माप को धारा 2 (ए) के तहत उंगली की छाप और पदचिह्न छाप को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। वर्तमान मामले में, यह पुलिस अधिकारी है, जिसने अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बाद उसकी उंगलियों के निशान लिए हैं जो अधिनियम की धारा 4 के लिए संदर्भित है।

9. उच्च न्यायालय ने फैसले के पैरा 22 और 23 में मौका छाप पर विचार किया है। पैरा 22 में उच्च न्यायालय ने कहा है कि

मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सोनवीर उर्फ सोमवीर का नमूना संयोग प्रिंट नहीं लिया गया था। निर्णय के पैरा 23 में अपीलार्थी की हथेली की छाप के साक्षय को त्यागने के कारण दिए गए हैं।

फैसले से निम्नलिखित तीन कारणों को समझा जा सकता है:

ए। सपन हलदर और एक अन्य बनाम राज्य 191 (2012) डी. एल. टी. 225 में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले में कहा गया है कि केवल तभी जब नियमों या कार्यकारी निर्देश के माध्यम से माप लेने का तरीका निर्धारित किया जाता है, तो अकेले आई. ओ.

1920 के अधिनियम की धारा 4 माप प्राप्त कर सकती है।

बी। मोहम्मद के निर्णय के अनुसार यह विशेष रूप से वांछनीय होगा। अमन और अन्र। बनाम राजस्थान राज्य (1997) 10 एस. सी. सी. 44 1920 अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना।

सी। दिल्ली में कोई नियम नहीं बनाए गए हैं और 1920 के अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

दिल्ली का राज्य [अशोक भूषण, जे.]

हम सोनवीर की हथेली की छाप के सबूत को छोड़ देंगे

उर्फ सोमवीर।

10. अब, हम उपरोक्त कारणों की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

11. सपन हलदर और एक अन्य (ऊपर) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर उच्च न्यायालय ने बहुत भरोसा किया है। उपरोक्त पूर्ण पीठ का गठन आई. ओ. द्वारा अपराध की जांच के दौरान अपराध करने के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त नमूनों, हस्तलेखन या हस्ताक्षर की स्वीकार्यता के विषय पर किया गया था। 12. निर्णय के पैरा 1 में संदर्भ की विषय वस्तु पर ध्यान देते हुए, पूर्ण पीठ ने पहले के पूर्ण पीठ के फैसले पर भी ध्यान दिया है

भूपिंदर सिंह बनाम राज्य में, 30.09.2011 पर निर्णय लिया गया।

13. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले पर ध्यान देना आवश्यक है। भूपिंदर सिंह बनाम।

राज्य, (Crl.A.No.1005/2008,30.09.2011 पर निर्णय लिया गया) निर्णय के पैरा 1 में उस प्रश्न को नोटिस किया गया है जिसे एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय के लिए भेजा गया है। भूपिंदर सिंह (ऊपर) के फैसले का पैरा 1 इस प्रकार है:

" 1. हरपाल सिंह बनाम में निर्णयों की शुद्धता के संबंध में संदेह व्यक्त करना। राज्य (आपराधिक अपील सं. 362/2008 ने निर्णय लिया 25 मई, 2010) और सत्यवान बनाम। राज्य (आपराधिक अपील सं. 34/2001 ने 9 जुलाई, 2009 को निर्णय लिया) जिसमें दो खंड पीठों ने हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट के हिस्से को इस आधार पर नजरअंदाज कर दिया था कि जांच अधिकारी ने संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नमूना हस्तलेखन लिया था।

कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 (संक्षिप्तता के लिए '1920 अधिनियम'), डिवीजन बेंच जो आपराधिक अपील सं।

1005/2008 [भूपेंद्र सिंह बनाम। राज्य (सरकार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)] और सं. 408/2007 [द्रोजन सिंह बनाम। राज्य (सरकार। दिल्ली के एन. सी. टी.)] ने निम्नलिखित प्रश्न को एक द्वारा निर्णय लेने के लिए संदर्भित किया

बड़ी बेंच: " क्या कैदियों की पहचान की धारा 4 के तहत जांच के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए नमूना उंगली के निशान

अधिनियम, 1920 अधिनियम की धारा 5 के तहत मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना स्वीकार्य होगा या नहीं? इन परिस्थितियों में, मामले को पहले रखा गया है।

हमें।

"[2018] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. भूपिंदर सिंह के मामले में धाराओं को नोटिस करने के बाद पूर्ण पीठ

3 , 4 और 1920 के अधिनियम के 5 और शंकरिया बनाम राजस्थान राज्य, (1978) 3 एस. सी. सी. 435 में इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करते हुए। अमन और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य, (1997) 10 एस. सी. सी. 44 और मध्य प्रदेश राज्य बनाम देवेंद्र (2009) 14 एस. सी. सी. 80 के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम बाबू मिश्रा (1980) 2 एस. सी. सी. 343,

मंजूरी मिल गई।

सुनील कुमार @सोनू बनाम दिल्ली राज्य (2005 का Crl.A.No.446) मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण। फैसले के पैरा 22 में पूर्ण पीठ ने कहा:

" 22. इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय में, दृष्टिकोण को समझा गया

हरपाल सिंह (ऊपर) और सत्यवान में निर्णयों में व्यक्त किया गया

(उपरि) सही दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए, दिए गए निर्णय

इनमें एतद्द्वारा अस्वीकृत किए जाते हैं। मामले में व्यक्त विचार

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सुनील कुमार (ऊपर) ने निर्धारित किया है

सही परिप्रेक्षय में कानून "।

15. सुनील कुमार का मामला जिसे पूर्ण पीठ ने मंजूरी दे दी थी

पैरा 10 में देखा गया है, जिसका निम्नलिखित प्रभाव है:

" 10. यह ध्यान देने योग्य है कि सुनील में इस न्यायालय का एकल न्यायाधीश कुमार @सोनू बनाम दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य, Crl.A. का संख्या 446

2005 डिवीजन पर ध्यान दिए बिना 25.3.2010 पर निर्णय लिया गया

न्यायपीठ के निर्णयों ने इस प्रकार निर्णय दिया है:

" 26. यह सच है कि नमूना फिंगर प्रिंट छाप

अपीलार्थियों को आई. ओ. द्वारा सीधे लिया गया था न कि उनके माध्यम से।

कैदियों की पहचान की धारा 5 में दिए गए प्रावधान के अनुसार मजिस्ट्रेट एक्ट करें। लेकिन, वह, मेरे विचार से आवश्यक नहीं था क्योंकि अनुभाग

4 पहचान कैदी अधिनियम विशेष रूप से प्रदान करता है कि कोई भी

व्यक्ति जिसे किसी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है

एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय

या ऊपर, यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा आवश्यक है, तो उसे अनुमति देगा निर्धारित तरीके से मापन किया जाना। इसे ध्यान में रखते हुए

एक पुलिस अधिकारी को प्रदत्त स्वतंत्र शक्तियाँ

अधिनियम की धारा 4, उनके लिए संपर्क करना अनिवार्य नहीं था

अधिनियम की धारा 5 के तहत मजिस्ट्रेट। उसके पास होगा

मजिस्ट्रेट से संपर्क किया, क्या अपीलकर्ताओं ने देने से इनकार कर दिया था उनके लिए फिंगर प्रिंट इम्प्रेशन का नमूना। इसलिए, नहीं।

अवैधता नमूना फिंगर प्रिंट छापों से जुड़ी होती है

जाँच अधिकारी द्वारा। अदालत को एस. ओ. एन. वी. आई. आर. @एस. ओ. एम. वी. आई. आर. वी. की सराहना करने की आवश्यकता है।

दिल्ली का राज्य [अशोक भूषण, जे.]

कि फिंगर प्रिंट जैसी सामग्री की प्रकृति और विशेषता इसे आंतरिक रूप से और स्वाभाविक रूप से असंभव बनाती है

उन्हें बनाने के लिए कोई भी। अगर मनगढ़ंत करने की कोशिश की जाती है

उंगलियों के निशान, जिसे निश्चित रूप से आरोपी द्वारा अपनी उंगलियों के निशान लेने की अनुमति देने की पेशकश करके उजागर किया जा सकता है ताकि अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से इसकी तुलना की जा सके। Crl.A. No.1005/2008 15 का पृष्ठ 7 अपीलकर्ताओं में से कोई भी अदालत में अपनी उंगलियों के निशान लेने और उनकी तुलना कार संख्या 1 से पीडब्लू-1 द्वारा उठाए गए संयोग उंगलियों के निशान से करने के अनुरोध के साथ आगे नहीं आया है। 21 दिसंबर, 2000 को डीएल 2सी ए 4116 "।" " "

16. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भूपिंदर सिंह मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा जिस मुद्दे पर विचार किया गया था, वही मुद्दा है।

जो वर्तमान मामले में शामिल है। लेकिन उच्च न्यायालय ने भूपिंदर सिंह के मामले की पूर्ण पीठ के फैसले पर चर्चा किए बिना और उसका पालन किए बिना विवादित फैसले में सपन हलदर (उपरोक्त) पर भरोसा किया है।

17. अब जैसा कि ऊपर देखा गया है, सपन हलदर मामले की ओर लौटते हुए, मुद्दा नमूना लिखावट या अपराध करने के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त हस्ताक्षर की स्वीकार्यता के संबंध में था। सपन हलदर मामले में पूर्ण पीठ ने भूपिंदर सिंह मामले के पैरा 18 पर ध्यान दिया और उस संदर्भ में 1920 के अधिनियम की धारा 4 और 5 के प्रावधानों की जांच करने के लिए आगे बढ़े।

18. सपन हलदर मामले के पैरा 22 में, महमूद बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया था। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 69: (1976) 1 एससीसी 542:

" 22. यदि इसके लिए कोई निर्धारित तरीका नहीं है तो क्या होगा

जाँच अधिकारी अपराध करने के आरोपी व्यक्ति का माप लेगा? ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 69 महमूद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में, फिंगर प्रिंट छाप लेने के लिए निर्धारित तरीके के अभाव में, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, 1920 की धारा 4 के तहत जांच अधिकारी द्वारा लिए गए नमूना फिंगर प्रिंट छापों को सबूत का मामला माना गया था जो इस संबंध में स्वीकार्य नहीं था:

प्राप्त उंगलियों के निशान और उस पर विशेषज्ञ की राय। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त स्थिति में धारा 5

कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 का पालन किया जाना चाहिए था। "

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. पैरा नं. 26 , 28 और निर्णय के 32 प्रासंगिक हैं जो नीचे दिए गए रूप में संक्षिप्त हैं:

" 26. निर्णय में थावराज पांडियन एंड ओआरएस ने बताया। बनाम राज्य, मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने नोट किया कि तमिलनाडु राज्य में तरीके के संबंध में कोई नियम नहीं बनाए गए थे। जिसमें एक जांच अधिकारी किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति की उंगलियों के निशान प्राप्त कर सकता है जैसा कि धारा 4 द्वारा अनुध्यात किया गया है।

द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, 1920 में यह उल्लेख किया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा फिंगर प्रिंट छाप लेने के तरीके के संबंध में कार्यकारी निर्देश थे और इसलिए राय दी गई है कि उक्त परिस्थितियों में जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त फिंगर प्रिंट छापों से संबंधित साक्षय साक्षय में स्वीकार्य होगा, लेकिन तथ्यों पर ध्यान दिया गया है कि उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया था और इसलिए उन्होंने कहा कि

अस्वीकार्य होना।

एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय। प्रत्यक्षतः, इस धारा का ऐसा कोई अनुप्रयोग नहीं होगा जिसमें व्यक्ति पर कोई अपराध करने का संदेह हो। जैसा कि आई. एल. आर. 1983 बॉम के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय। 1508 निज़ामूद्दीन उस्मान बनाम स्टेट ऑफ़

महाराष्ट्र।

32. हालांकि इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य नहीं है, उंगलियों के निशान के संबंध में, जो 'माप' में शामिल हैं,

अधिकारियों का वजन यह है कि यदि नियमों या कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से माप लेने का तरीका निर्धारित किया गया है, तो अकेले एक जांच अधिकारी, धारा 4 के तहत माप प्राप्त कर सकता है लेकिन सख्ती से निर्धारित तरीके के अनुसार; लेकिन यह

मोहम्मद में निर्णय के अनुसार यह विशेष रूप से वांछनीय होगा। अमन का मामला (ऊपर) कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 की धारा 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए। यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों के संबंध में, कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 की धारा 4 लागू नहीं होगी क्योंकि उक्त प्रावधान एस. ओ. एन. वी. आई. आर. @एस. ओ. एम. वी. आई. आर. v.

दिल्ली का राज्य [अशोक भूषण, जे.]

एक पूर्व शर्त निर्दिष्ट करता है: कि संबंधित व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है

एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से गुजरना अर्थात् सजा एक अवधि के कारावास से संबंधित होनी चाहिए और

इस प्रकार ऐसे अपराधों को बाहर रखा जाता है जहां या तो मृत्युदंड या

आजीवन कारावास की सजा पर विचार किया जाता है।

" 9

20. यह ध्यान देने योग्य है कि सपन में पैरा 32 पूर्ण पीठ में

हलदर ने स्वयं देखा है कि फिंगरप्रिंट से संबंधित मुद्दा संदर्भ में विचार के लिए नहीं आता है। हालांकि, पूर्ण पीठ ने उंगलियों के निशान पर कानून पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़े, जब यह मुद्दा सीधे संदर्भ में विचार के लिए नहीं आया। हम सपन हलदर के मामले में धारा 4 और 5 के संबंध में किसी भी कानून को निर्धारित करने की आवश्यकता को देखने में विफल रहते हैं, जब संदर्भ अपराध करने के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त नमूना लिखावट की स्वीकार्यता के संबंध में था।

अपराध की जाँच।

21. हालाँकि, हम उपरोक्त के बावजूद जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं

धारा 4 के संदर्भ में सपन हलदर (ऊपर) में पूर्ण पीठ द्वारा की गई टिप्पणियाँ। महमूद बनाम यू. पी. राज्य में इस न्यायालय का निर्णय।

(ऊपर) पर भरोसा किया गया था। सपन हलदर की पूर्ण पीठ ने महमूद बनाम महमूद मामले में इस अदालत के फैसले को पढ़ा। यू. पी. राज्य ने यह निर्धारित करते हुए कि "उंगलियों के निशान लेने के लिए निर्धारित तरीके के अभाव में प्राप्त उंगलियों के निशान और उस पर विशेषज्ञ की राय के संबंध में साक्षय स्वीकार्य नहीं होने का मामला माना गया था।" महमूद मामले (उपरोक्त) में इस अदालत के फैसले के अवलोकन से संकेत मिलता है कि आरोपी द्वारा शिकायत की गई थी कि पुलिस द्वारा किसी गोल वस्तु पर जबरन उसकी उंगलियों के निशान लिए गए थे जो फैसले के पैरा 10 में देखा गया है। इस न्यायालय ने देखा कि अपीलार्थी की उंगलियों के नमूने मजिस्ट्रेट के आदेश से पहले या उसके तहत नहीं लिए गए थे, जिसे जांच के संचालन पर संदिग्ध विशेषता माना गया था। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही यह माना जाता है कि केवल एक गंडस पर अपीलार्थी की उंगलियों के निशान थे, फिर भी यह निर्विवाद रूप से और निर्विवाद रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि अपीलार्थी और कोई और हत्यारा नहीं था। निम्नलिखित पैरा संख्या में आयोजित किया गया था। 16 , 18 और 19:

" 16. इसके अलावा, अपीलार्थी की नमूना उंगलियों के निशान थे

मजिस्ट्रेट के आदेश से पहले या उसके तहत नहीं लिया गया

कैदी पहचान अधिनियम की धारा 5 के साथ। यह एक और बात है

जाँच के संचालन की संदिग्ध विशेषता। ऐसा नहीं हुआ है।

उन्होंने बताया कि इस मजिस्ट्रेट को तस्वीर से बाहर क्यों रखा गया था।

18. दूसरा, अगर यह भी माना जाए कि इस गंडस के हैंडल पर अपीलार्थी की उंगलियों के निशान हैं, तो भी यह नहीं होगा। निर्विवाद
रूप से और निर्विवाद रूप से इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि

अपीलार्थी, और कोई और द्वारका का हत्यारा नहीं था, जब तक कि यह दृढ़ता से साबित न हो जाए कि मृतक को घातक चोट इस हथियार से लगी थी। इस मामले में इस संबंध के निश्चित प्रमाण का अभाव था। लापता कड़ी की सबसे अच्छी आपूर्ति यह दिखाकर की जा सकती है कि इस गंडसे पर खून था, और यह कि खून मानव का था।

मूल। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

उंगलियों के निशान की पहचान के विज्ञान में अनुभव। किसी भी स्वतंत्र पुष्टि के बिना किसी को मृत्युदंड के आरोप में दोषी ठहराना अत्यधिक असुरक्षित होगा, केवल ऐसे व्यक्ति की गंजी और हठधर्मी राय पर, भले ही ऐसी राय को स्वीकार्य माना जाए। धारा 45 साक्षय अधिनियम के तहत "।

22. उपरोक्त पृष्ठभूमि में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परिस्थितिजन्य साक्षय का एकमात्र टुकड़ा जिस पर अभियोजन पक्ष ने अपना दावा किया है

एक ठोस नींव प्रस्तुत करने के लिए बहुत अस्थिर, संदिग्ध और नाजुक है जैसा कि पैरा 20 में अभिनिर्धारित किया गया है:

" 20. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा विचार है कि

परिस्थितिजन्य साक्षय का एकमात्र टुकड़ा जिस पर

अभियोजन पक्ष ने अपना मामला खड़ा कर दिया है, बहुत अस्थिर, संदिग्ध और

दृढ़ विश्वास के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करने के लिए नाजुक "।

23. उपरोक्त निर्णय को एक पूर्ववर्ती के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है जिसमें कहा गया है कि उंगली उठाने के लिए निर्धारित तरीके के अभाव में

प्रभाव, साक्षय स्वीकार्य नहीं है। हमारा विचार है कि सपन हलदर मामले में पैरा 22 में पूर्ण पीठ द्वारा की गई टिप्पणियां महमूद बनाम राज्य मामले में इस न्यायालय के फैसले से समर्थित नहीं हैं।

24. अब, हम सपन हलदर मामले के फैसले के पैरा 26 पर आते हैं जहाँ दिल्ली उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को नोटिस करता है।

थावराज पांडियन और अन्य बनाम राज्य, 2003 में। L.J.2642 जहाँ मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि तमिलनाडु राज्य में उस तरीके के संबंध में कोई नियम नहीं बनाया गया है जिसमें एक आई. ओ. एस. ओ. एन. वी. आई. आर. @एस. ओ. एम. वी. आई. आर. v. प्राप्त कर सकता है।

एक अपराध के आरोपी व्यक्ति के उंगलियों के निशान, लेकिन नोट किया कि वहाँ

जिस तरह से उंगलियों के निशान की छाप ली जा सकती थी, उसके संबंध में कार्यकारी निर्देश थे। मद्रास उच्च न्यायालय ने उंगलियों के निशान छापों पर भरोसा नहीं किया है और कहा है कि इसके लिए कार्यकारी निर्देश

कि 1920 के अधिनियम की धारा 4 लागू नहीं होती है जहाँ कोई व्यक्ति है ऐसा अपराध करने का संदेह जो मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय हो। अधिनियम की धारा 4 उस व्यक्ति के संबंध में प्रावधान करती है जिसे एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय जो सुझाव देता प्रतीत होता है वह यह है कि धारा 4 तब लागू नहीं होती है जब किसी व्यक्ति पर ऐसा अपराध करने का संदेह होता है जो मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय है।

26. पुलिस अधिकारी को सशक्त बनाने का उद्देश्य और उद्देश्य

एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय अपराध में उंगलियों के निशान हैं; तुच्छ प्रकृति के अपराधों के लिए जहां कठोर कारावास एक वर्ष से कम है, पुलिस अधिकारी को उंगलियों के निशान लेने का अधिकार नहीं है। "एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास" शब्दों का उपयोग आजीवन कारावास या मौत की सजा को नकारता नहीं है।

27. इस धारा का उद्देश्य पुलिस को सशक्त बनाना नहीं था

अधिकारी को तुच्छ अपराधों में उंगलियों के निशान लेने के लिए जहां कारावास एक वर्ष से कम है, लेकिन प्रावधान को इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है कि पुलिस अधिकारी के पास ऐसी शक्ति नहीं है यदि कारावास आजीवन कारावास या मृत्युदंड के लिए है। पूर्ण पीठ द्वारा सुझाए गए तरीके से धारा 4 को पढ़ना पुलिस अधिकारी के उंगलियों के निशान लेने के सशक्तिकरण के उद्देश्य को नकार देगा।

28. अब हम उस फैसले के पैरा 32 पर आते हैं जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अधिकारियों का वजन यह है कि यदि

नियम या कार्यकारी निर्देश, माप लेने के लिए निर्धारित तरीका, अकेले तब धारा 4 के तहत एक आई. ओ. प्राप्त कर सकता है

माप, लेकिन सख्ती से, निर्धारित तरीके के अनुसार। सपन हलदर (ऊपर) के पैरा 32 में, मोहम्मद का निर्णय। अमन के मामले को भी संदर्भित किया गया है:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 32. यद्यपि इस संदर्भ में विचार के लिए नहीं आता है, अंगुली के निशान के संबंध में, जो माप में शामिल हैं, अधिकारियों का वजन यह है कि यदि नियमों या कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से माप लेने का तरीका निर्धारित किया गया है, तो अकेले एक जांच अधिकारी, धारा 4 के तहत माप प्राप्त कर सकता है, लेकिन सख्ती से निर्धारित तरीके के अनुसार; लेकिन यह मोहम्मद में निर्णय के अनुसार विशेष रूप से वांछनीय होगा। अमन का मामला (ऊपर) धारा 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए

कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 "।

29. मोहम्मद के फैसले का उल्लेख करना आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अमन (ऊपर) I। मोहम्मद में। अमन मामला, कई मौकों पर लिए गए उंगलियों के निशान, पैरा 7 में तथ्यों पर ध्यान दिया गया है

निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है:

" 7. जैसा कि पहले देखा गया है कि एकमात्र दोषपूर्ण परिस्थिति जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने मोहम्मद की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। अमन का कहना है कि मृतक के घर में पीतल के जग पर उसकी उंगलियों के निशान पाए गए थे। उपरोक्त परिस्थिति के प्रमाण में प्रस्तुत साक्षय से यह प्रतीत होता है कि पीतल के जग को अन्य वस्तुओं के साथ जब्त कर लिया गया था, पैक किया गया था और 14-4-1983 पर सील कर दिया गया था।

ब्यूरो को 24-5-1983 पर अग्रेषित किया गया। जैसा कि प्रिंट नहीं थे स्पष्ट रूप से, उन्हें ब्यूरो द्वारा बेहतर प्रिंटों के लिए वापस कर दिया गया था। इसके बाद नमूना उंगलियों के निशान फिर से 20 6-1983 पर लिए गए और ब्यूरो को भेजे गए। इन प्रिंटों को भी वापस भेज दिया गया और तीसरी बार मोहम्मद के प्रिंट भेजे गए। अमन को ले जाया गया और 30-6-1983 पर ब्यूरो को भेज दिया गया। इसके बाद ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट दी।

(एक्स. 115) इस राय के साथ कि संयोग से उंगलियों के निशान पाए गए

पीतल का जग उनके नमूने के समान और समान था।

उंगलियों के निशान "। सॉन्वीर @सॉम्वीर वी। दिल्ली का राज्य [अशोक भूषण, जे.]

30. इस न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष स्थापित करने में विफल रहा है

कि जब्त की गई वस्तुओं को जांच के लिए ब्यूरो तक पहुंचने से पहले न तो नियंत्रित किया जा सकता था और न ही किया जा सकता था। पैरा 8 में आगे कहा गया है:

" 8 ..... उपरोक्त लापता लिंक और संदिग्ध के अलावा उसी के आसपास की परिस्थितियाँ, एक और परिस्थिति है

जो इसकी वास्तविकता के बारे में भी गंभीर अविश्वास पैदा करता है

के कहने पर कई मौकों पर लिया जाना था ब्यूरो, उन्हें एक के आदेश से पहले या उसके तहत कभी नहीं लिया गया था

की पहचान की धारा 5 के अनुसार मजिस्ट्रेट कैदी अधिनियम। यह सच है कि इसकी धारा 4 के तहत पुलिस है

अभियुक्त की उंगलियों के निशान लेने के लिए सक्षम लेकिन किसी को भी हटाने के लिए इसकी प्रामाणिकता के बारे में संदेह या संभावना को समाप्त करने के लिए

सबूतों का निर्माण यह विशेष रूप से वांछनीय था कि वे थे

मजिस्ट्रेट के आदेश से पहले या उसके तहत लिया गया।

(हमारे द्वारा रेखांकित)

31. उपरोक्त अवलोकन हालांकि स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि

धारा 4 पुलिस अधिकारी अभियुक्त की उंगलियों के निशान लेने के लिए सक्षम है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता को दूर करने या साक्षय के मनगढ़ंत निर्माण को समाप्त करने के लिए यह स्पष्ट रूप से वांछनीय था कि उन्हें मजिस्ट्रेट के आदेश से पहले या उसके तहत लिया गया था।

32. अवलोकन को इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

कि धारा 4 के तहत पुलिस अधिकारी उंगलियों के निशान लेने के हकदार नहीं हैं जब तक मजिस्ट्रेट से आदेश नहीं लिया जाता। अवलोकन किए गए थे कि पहले या नीचे उंगलियों के निशान लेना वांछनीय है

मजिस्ट्रेट का किसी भी संदेह को दूर करने का आदेश। विशेष रूप से, उपरोक्त मामले में जो संदेह पैदा हुए थे जो तथ्यों से स्पष्ट हैं

पैरा संख्या में देखा गया। 7 और 8. मोहम्मद में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ। अमन का मामला उस मामले के तथ्यों में था और इसका मतलब यह नहीं पढ़ा जा सकता है कि पुलिस अधिकारी धारा 5 के तहत मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त किए बिना उंगलियों के निशान प्राप्त नहीं कर सकते।

33. इस संदर्भ में एक और निर्णय पर ध्यान देना उपयोगी होगा।

प्रकाश बनाम कर्नाटक राज्य, (2014) 12 एस. सी. सी. 133 में न्यायालय जहां दो-इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ मोहम्मद पर भरोसा करती है। अमन (ऊपर) ने पैरा 28 में निम्नलिखित टिप्पणियां दी हैं:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 28. मान लीजिए कि प्रकाश का फिंगरप्रिंट वास्तव में प्राप्त किया गया था

डिसूजा, यह स्पष्ट रूप से स्वेच्छा से नहीं दिया गया था, लेकिन शायद अनजाने में

और जो एक छलपूर्ण तरीके से प्रतीत होता है। किसी भी संदेह से बचने के लिए

इस प्रकार लिए गए या उपयोग किए गए फिंगरप्रिंट की वास्तविकता के बारे में कोई भी छल, जाँच के लिए कार्रवाई का उचित तरीका

अधिकारी को आवश्यक आदेशों के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क करना था।

कैदियों की पहचान अधिनियम की धारा 5 के अनुसार,

1920. मोहम्मद में। अमन बनाम। राजस्थान राज्य इस न्यायालय ने संदर्भित किया

पुलिस द्वारा सबूत गढ़ने और इससे बचने की संभावना के लिए

ऐसी प्रकृति का आरोप, यह अत्यंत वांछनीय होगा कि उंगलियों के निशान मजिस्ट्रेट के आदेश पर लिए गए थे। हम.

यह जोड़ा जा सकता है कि यह समान रूप से सबूत बनाने पर लागू होगा

एक संदिग्ध के खिलाफ। इस अदालत को यही कहना थाः (एस. सी. सी पी. 49 ,

पैरा 8)

“ 8. ... .भले ही मोहम्मद के नमूने की उंगलियों के निशान। अमन

के कहने पर कई मौकों पर लिया जाना था

ब्यूरो, उन्हें एक के आदेश से पहले या उसके तहत कभी नहीं लिया गया था

साक्षय के मनगढ़ंत होने के लिए यह विशेष रूप से वांछनीय था कि वे मजिस्ट्रेट के आदेश से पहले या उसके तहत लिया गया था।

9

999

34. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने दोहराया और दोहराया कि

मोहम्मदनि भेसनफोर। अमन मामला, जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं

ई.

35. तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को संदर्भित करना आवश्यक है

शंकरिया बनाम राजस्थान राज्य (ऊपर) में न्यायालय। इस न्यायालय को पॉव मामले की धारा 4 और धारा 5 पर नोटिस देने का अवसर मिला था।

अधिनियम जहाँ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि नमूना

अपीलार्थी की छाप जो पहले प्राप्त नहीं की गई हो

मजिस्ट्रेट उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस तर्क को खारिज कर दिया गया था

और निम्नलिखित पैरा 83 और 84 में निर्धारित किया गया था:

" 83. श्री गंभीर ने आगे तर्क दिया कि धारा 5 को देखते हुए

कैदियों की पहचान अधिनियम, यह पुलिस पर अनिवार्य था कि

अपीलार्थी से पहले नमूना अंगूठे की छाप प्राप्त करें। मजिस्ट्रेट, और चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए एस. ओ. एन. वी. आई. आर. @एस. ओ. एम. वी. आई. आर. वी. द्वारा दी गई राय।

फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ, श्री तन्खा, उन अवैध रूप से प्राप्त नमूना उंगली-छापों का उपयोग करके, सबूत से इनकार किया जाना चाहिए।
84. यह तर्क गलत प्रतीत होता है क्योंकि राजस्थान राज्य में, पुलिस कैदियों की पहचान अधिनियम की धारा 4 के तहत नमूना उंगलियों के निशान लेने में सक्षम थी

अभियुक्तों में से, और यह उन्होंने तत्काल मामले में, पुलिस अधीक्षक, श्री के. पी. श्रीवास्तव के समक्ष किया। ऐसा नहीं था।

उनके लिए मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करना आवश्यक है

इस तरह के नमूना उंगलियों के निशान प्राप्त करना "।
36. तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह आवश्यक नहीं था

37. सपन हलदर मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए कारणों में से एक यह था कि कोई नियम या कार्यपालिका नहीं थी उंगलियों के निशान लेने का तरीका निर्धारित करने वाले निर्देश, पुलिस अधिकारी धारा 4 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमें इस पहलू पर थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है। निर्धारित शब्द को धारा 2 (सी) के तहत "इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित साधन" के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 8 राज्य सरकार को इस उद्देश्य के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है -

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना। धारा 8 इस प्रकार है:

" 8. नियम बनाने की शक्ति। (1) राज्य सरकार, 1 [सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा] निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए नियम बना सकती है:
इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना। - (1) राज्य

सरकार, 1 [सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा] इसके प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से नियम बना सकती है।

अधिनियम "।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं -

(ए) के तहत व्यक्तियों की तस्वीरें लेने पर प्रतिबंध

धारा 5;

(ख) वे स्थान जहाँ माप और चित्र लिए जा सकते हैं।

लिया गया;

(ग) लिए जा सकने वाले मापों की प्रकृति;
(घ) वह विधि जिसमें माप के किसी भी वर्ग या वर्गों को लिया जाएगा; [2018] 7 एस. सी. आर.

(ई) धारा 3 के तहत फोटो खिंचवाते समय किसी व्यक्ति द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक; और

(च) संरक्षण, सुरक्षित अभिरक्षा, विनाश और निपटान

मापों और तस्वीरों के अभिलेख। [(3) इस धारा के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा।

इसे बनाए जाने के बाद राज्य विधानमंडल के समक्ष हो सकता है।] ”

38. क्या धारा 4 के तहत पुलिस अधिकारी की शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्य धारा 8 के तहत नियम नहीं बनाता है? दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करने वाले अपीलार्थी का तर्क है कि

चूंकि धारा 4 "उसके माप को निर्धारित तरीके से लेने की अनुमति दें" शब्दों का उपयोग करता है, जब तक कि नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से उंगलियों के निशान नहीं लिए जा सकते हैं। धारा 8 के तहत नियम बनाने के लिए दी गई राज्य की शक्ति एक सक्षम करने वाली शक्ति है। धारा 8 के तहत उपयोग किया जाने वाला शब्द है, राज्य सरकार "मई"। क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि जब तक राज्य द्वारा नियम नहीं बनाए जाते, तब तक धारा 3 और 4 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपना माप देने के लिए कहने के लिए पुलिस अधिकारी को दी गई शक्ति एक मूल शक्ति है। यह शक्ति इस शर्त से सुरक्षित है कि इस तरह के माप को "निर्धारित तरीके से लिया जाना है" यदि कोई निर्धारित तरीका है जिसका उल्लंघन ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है। निर्धारित तरीके से माप लेना धारा का एक प्रक्रियात्मक हिस्सा है जो मूल को प्रभावित नहीं करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त से उसका माप बताने के लिए कहने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।

आई. ओ. को धारा 5 का सहारा लेना होगा। धारा 5 एक अलग शक्ति है। मजिस्ट्रेट को दिया गया। मजिस्ट्रेट की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच और कार्यवाही के उद्देश्य से न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए एक अतिरिक्त और अलग शक्ति है। इसका प्रयोग ऐसे मामले में भी किया जा सकता है जहां गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी ने किसी आरोपी की उंगलियों के निशान नहीं लिए हों। लेकिन, यह नहीं माना जा सकता है कि धारा 4 के तहत शक्ति का प्रयोग पुलिस अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है।

खंड 5.

सॉन्वीर @सॉम्वीर वी। दिल्ली का राज्य [अशोक भूषण, जे.]

40. एक और पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है। धारा 3 भी

दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के तहत। अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने के बाद धारा 5 लागू नहीं होती है, यदि इसके द्वारा दी गई व्याख्या अपीलार्थी को स्वीकार कर लिया जाता है, यहां तक कि दोषी व्यक्तियों के लिए भी, जब तक नियम नहीं बनाए जाते, तब तक माप पूछने की अनुमति नहीं होगी।

41. इस संदर्भ में, हम वी. टी. खानजोद और अन्य बनाम मामले में इस अदालत की संविधान पीठ के फैसले को संदर्भित करना चाहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

भारत और दूसरा (1982) 2 एस. सी. सी. 7. उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उप धारा (2) पर विचार करने का अवसर मिला था। धारा 58 विनियम बनाने के लिए केंद्रीय बोर्ड की शक्ति थी। धारा 58 (1) और (2) को निर्णय के पैरा 13 में संदर्भित किया गया है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

" 13. पहले प्रश्न की ओर रुख करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 (1) में प्रावधान है कि:

" केंद्रीय बोर्ड, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, उन सभी मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए इस अधिनियम के अनुरूप विनियम बना सकता है जिनके लिए प्रावधान आवश्यक है या

के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सुविधाजनक

यह अधिनियम "।

धारा 58 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि विशेष रूप से और

पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम उस उप-धारा के विभिन्न खंडों में उल्लिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं। खंड (जे) "बैंक के अधिकारियों और सेवकों के लिए कर्मचारियों और सेवानिवृत्ति निधियों के गठन और प्रबंधन" को संदर्भित करता है, जबकि खंड (आर) इस विषय को संदर्भित करता है: आम तौर पर, कुशल के लिए

बैंक के व्यवसाय का संचालन ". [2018] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

42. इस न्यायालय ने धारा 58 (1) पर कहा था कि केंद्रीय बोर्ड को दी गई शक्ति एक सक्षम करने वाली शक्ति थी जो इस धारा से स्पष्ट है -

"मई" शब्द का उपयोग। पैरा 18 चिह्नित भाग में निम्नलिखित देखा गया:

" 18 ..... उस तर्क पर, यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 58 (1) एक सक्षम प्रावधान की प्रकृति में है जिसके तहत केंद्रीय

बोर्ड उन सभी मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए विनियम बना सकता है जिनके लिए अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रावधान करना आवश्यक या सुविधाजनक है। यह प्रावधान इस तर्क को सही नहीं ठहराता है कि कर्मचारियों के नियम इसके तहत बनाए जाने चाहिए या बिल्कुल नहीं। इस मामले का सार यह है कि केंद्रीय बोर्ड के पास बैंक के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित नियम बनाने की शक्ति है। यदि उसके पास वह शक्ति है, तो वह धारा 58 (1) के अनुसार या उचित रूप से कार्य करके इसका प्रयोग कर सकता है।

प्रशासन की अपनी सामान्य शक्ति के प्रयोग में और

अधीक्षण "।

43. संविधान पीठ ने यह भी कहा कि 58 (1) के तहत विनियमन के अभाव में केंद्रीय बोर्ड प्रशासनिक परिपत्र जारी कर सकता था और इसके द्वारा सेवा शर्तों को विनियमित करने में कोई निषेध नहीं था। प्रशासनिक परिपत्र।

44. हमारे उपरोक्त दृष्टिकोण को (1986) 4 एस. सी. सी. 667, सुरिंदर सिंह बनाम केंद्र सरकार और अन्य में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले से समर्थन मिलता है। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय को विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिला था। अधिनियम की धारा 8 में कहा गया है कि एक विस्थापित व्यक्ति को "इस अधिनियम के तहत बनाए जाने वाले नियमों के अधीन" धारा 7 के तहत निर्धारित मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। धारा 40 केंद्र सरकार को अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 40 की उप-धारा (2) के खंड (जे) में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाले नियम तैयार करने का प्रावधान है। क्षतिपूर्ति राशि और बिक्री आय की प्राप्ति का तरीका। केंद्र सरकार ने शहरी कृषि भूमि की बिक्री या अन्यथा निपटान को विनियमित करने के लिए नियम नहीं बनाए थे।

45. अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरण ने नीलामी बिक्री द्वारा शहरी कृषि संपत्ति का निपटान किया। उच्च न्यायालय ने कहा था कि क्षतिपूर्ति पूल का हिस्सा बनने वाली संपत्ति का निपटान

अधिनियम की धारा 8 और 40 और एस. ओ. एन. वी. आई. आर. @एस. ओ. एम. वी. आई. आर. v. द्वारा विचार किए गए नियमों के अधीन था।

चूंकि केंद्र सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति पूल का हिस्सा बनने वाली शहरी कृषि संपत्ति के निपटान के संबंध में कोई नियम नहीं बनाए गए थे, इसलिए अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरण के पास कोई नियम नहीं था।

नीलामी-बिक्री द्वारा शहरी कृषि संपत्ति का निपटान करने का अधिकार क्षेत्र।

46. इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय की उपरोक्त राय को उलटते हुए कहा कि जहां कोई कानून नियमों के अधीन रहते हुए कुछ कार्यों को करने या कुछ मामलों के संबंध में शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी प्राधिकरण को शक्तियां प्रदान करता है, कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग नियमों के अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता है जब तक कि कानून स्पष्ट रूप से इसके लिए प्रावधान नहीं करता है। पैरा 6 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

6 ..... हमारी राय में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत है। जहाँ कोई क़ानून किसी प्राधिकारी को नियमों के अधीन कुछ कार्यों को करने या कुछ मामलों के संबंध में शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है, वहाँ क़ानून द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग नियमों के अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता है जब तक कि क़ानून स्पष्ट रूप से उनके लिए प्रावधान नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, नियमों को तैयार करना क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से और बिना शर्त प्रदान की गई शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती शर्त नहीं है। "नियमों के अधीन" अभिव्यक्ति का अर्थ केवल नियमों के अनुसार, यदि कोई हो। यदि नियम बनाए जाते हैं, तो प्राधिकरण को इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इन नियमों के अनुसार किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई नियम नहीं बनाए जाते हैं तो कोई शून्य नहीं है और प्राधिकरण को प्रयोग करने से रोका नहीं जाता है। कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति।

47. इस न्यायालय ने आगे कहा कि विनियमन करने वाले नियमों का निर्माण

विस्थापित व्यक्ति को बिक्री द्वारा शहरी कृषि संपत्ति के निपटान का तरीका या तरीका अधिनियम की धारा 8,16 और 20 के तहत संबंधित अधिकारियों द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती शर्त नहीं है। पैराग्राफ 7 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

" 7. .... विस्थापित व्यक्ति को बिक्री द्वारा शहरी कृषि संपत्ति के निपटान के तरीके को विनियमित करने वाले नियम बनाना। द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती नहीं है

अधिनियम की धारा 8,16 और 20 के तहत संबंधित अधिकारी। यदि विधायी इरादा यह था कि जब तक धारा 8,16 और 20 के तहत प्राधिकरण को प्रदत्त शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता था, तब तक उस इरादे को "बनाए गए नियमों के अनुसार के अलावा" अभिव्यक्ति का उपयोग करके स्पष्ट किया जा सकता था।

विस्थापित व्यक्ति को पूल [2018] 7 एस. सी. आर. की बिक्री द्वारा मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

संपत्ति। इस तरह के किसी भी प्रावधान के अभाव में नियम, शक्ति के प्रयोग के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती नहीं हो सकता है।

48. ऊपर जो बताया गया है वह वर्तमान मामले के तथ्यों से पूरी तरह से आकर्षित है। राज्य सरकार द्वारा धारा 8 के तहत कोई भी नियम न बनाना अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दी गई शक्तियों के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है। धारा 3 और 4 के तहत शक्ति का प्रयोग निर्धारित शर्तों द्वारा किया जाता है, लेकिन ऐसे मामले में जहां कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, धारा 3 और 4 के तहत सशक्त अधिकारियों को धारा 3 और 4 के तहत कार्य करने की उनकी शक्तियों से वंचित नहीं किया जाता है। एक मामले में, अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा दी गई व्याख्या कि धारा 8 के तहत बनाए गए नियमों के अभाव में, धारा 3 और 4 के तहत किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, स्वीकार किया जाता है, धारा 3 और 4 के प्रावधान मृत पत्र बन जाएंगे, जो 1920 के अधिनियम को लागू करने में विधायिका का इरादा कभी नहीं रहा है।

49. यह ध्यान देने योग्य है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के पैरा 23 में हथौड़े के संयोग साक्षय को खारिज कर दिया है "दिल्ली में कोई नियम नहीं बनाए गए हैं और कैदियों की पहचान की धारा 5 में निर्धारित प्रक्रिया और

एविंग का पालन नहीं किया गया, हम इस प्रकार हथेली के छापों के सबूतों को त्याग देंगे। दिल्ली राज्य में उंगलियों के निशान लेने के संबंध में कोई कार्यकारी निर्देश थे या नहीं, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई स्पष्ट सामग्री नहीं है। यह किसी भी न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का मामला नहीं है कि दिल्ली राज्य में लागू किसी भी कार्यकारी निर्देश की अवहेलना में उंगलियों के निशान लिए गए थे।

50. प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील पी. डब्ल्यू. 32 के साक्षय का उल्लेख करते हुए जहाँ उन्होंने उंगलियों के निशान लेने के संबंध में एक बयान दिया था अभियुक्त ने तर्क दिया कि इस पहलू पर बचाव पक्ष द्वारा कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी। प्रत्यर्थी की लिखित प्रस्तुतियों के निम्नलिखित भाग को निकालना उपयोगी है:

" इस संबंध में, पी. डब्ल्यू. 32 का पेज 173 (नीचे) पर बयान प्रासंगिक है, "आरोपी की पुलिस हिरासत के दौरान, मैंने आरोपी राजेश उर्फ सुल्तान और पुत्रवीर उर्फ सोमवीर का फिंगर प्रिंट लिया। उसी के साथ-साथ एस. आई. नरेश कुमार द्वारा उठाए गए मौका प्रिंट को उनकी तुलना के लिए फिंगरप्रिंट ब्यूरो, मालवियानगर को भेजा गया था। इस संबंध में मेरा आवेदन पूर्व पीडब्लू 32/एन है। इस पहलू पर बचाव पक्ष द्वारा कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की जाती है। सॉन्वीर @सॉम्वीर वी।

दिल्ली का राज्य [अशोक भूषण, जे.]

खारिज किए जाने का समर्थन दिल्ली उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में दिए गए कारणों से नहीं किया जा सकता है। 52. भले ही, हम स्वीकार करते हैं कि अपीलार्थी की उंगलियों के निशान, संयोग प्रिंट मार्क क्यू5 (लोहे की तिजोरी से लिया गया) सोनवीर के बाएं हथेली के निशान के नमूने के समान था, यह आदेश की श्रृंखला को पूरा नहीं करता है।

परिस्थितियाँ अपीलार्थी की ओर बिना किसी संदेह के उंगली उठाती हैं कि यह अपीलार्थी ही था जिसने हत्या की थी। परिस्थितिजन्य साक्षय के आधार पर दोषसिद्धि का कानून अच्छी तरह से तय किया गया है। रमेश और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, (2011) 3 एस. सी. सी. 685 में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना पर्याप्त है जहां पैरा 17 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:

" 17. इससे पहले कि हम मामले के साथ आगे बढ़ें, यह ध्यान में रखना होगा कि यह मामला परिस्थितिजन्य साक्षय पर निर्भर करता है और इस तरह, तय किए गए कानून के अनुसार, हर परिस्थिति को उचित संदेह से परे साबित करना होगा और आगे की श्रृंखला को आगे बढ़ाना होगा

परिस्थितियाँ इतनी पूर्ण और परिपूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त के अपराध का एकमात्र अनुमान उसी से निकले। साथ ही, इसकी कोई संभावना नहीं होनी चाहिए

रक्षा संस्करण सही है "।

53. इस प्रकार, भले ही उपरोक्त साक्षय अस्वीकार करने योग्य न हो, परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिए पूर्ण नहीं है

अपीलार्थी के लिए अपराध।

54. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है। अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302,392 के तहत आरोपों से बरी हो जाता है। अपीलार्थी को निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।

अपील की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी